

—: ई-निविदा शुद्धि-पत्र (CORRIGENDUM) :—

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में, विधान सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन हेतु निविदा सूचना संख्या-1842 दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 के द्वारा Webcasting कार्य हेतु द्वि-निविदा प्रणाली के अन्तर्गत वेबसाईट www.uktenders.gov.in के माध्यम से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ई-निविदा आमंत्रित की गई थी। दिनांक 08 नवम्बर, 2021 को अपराह्न 03:00 बजे ऑन लाइन/ऑफ लाइन प्री-बिड बैठक सम्पन्न हुई जिसमें निम्न इच्छुक निविदा-दाताओं के द्वारा प्रतिभाग किया गया:-


1. Mr. Surjeet Singh, Eligance Dehradun (Off Line)
2. Mr. Dwarika Prasad, Macro Infotech Pvt. Ltd. Dehradun ((Off Line)
3. Mr. Anand Nautiyal, Sky Path, Dehradun (Off Line)
4. Mr. Sumit Rathi, AVA System Shivaji nagar New Delhi (On Line)
5. Mr. Devyanshi Sharma, Raj international Kolkata (On Line)
6. Mr. Ranbeer Guha, Raj international Kolkata (On Line)
7. Mr. Sreejith Nair, Vimukti Solutations. Pvt Ltd. Gujrat (On Line)
8. Mr. Jignesh Parik, Vimukti Solutations. Pvt Ltd. Gujrat (On Line)
9. Mr. Dina V.R. SNR eData Hyderabad (On Line)
10. Mr. Tharun Kumar, SNR eData Hyderabad (On Line)
11. Mr. Ankit Jain, Inovative View Noida (On Line)
12. Mr. Pratik Katariya, Epitomem Corp. pvt. Ltd. (On Line)
13. Mr. Rajkumar Kundu, Pho Com Net Kolkata. (On Line)

प्री-बिड मीटिंग में प्राप्त Feed Back के क्रम में निम्न प्रकार Corrigendum जारी किया जाता है:-

1. मूल निविदा के पृष्ठ संख्या 2 के क्रम में Consortium / Joint Venture Partner Allowed होगा। सफल निविदा-दाता द्वारा सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ पृथक से SLA करना होगा। Consortium / Joint Venture की स्थिति में लीड पार्टनर SLA हेतु अधिकृत होगा।
2. मूल निविदा के पृष्ठ संख्या 2, 41 व 42 के क्रम में नियत फर्म आदि के अतिरिक्त Proprietorship द्वारा भी प्रतिभाग किया जा सकता है।
3. मूल निविदा के पृष्ठ संख्या 17 के बिन्दु संख्या 4-6 के क्रम में Webcasting Viewing के लिए LED टीवी की व्यवस्था फर्म के स्थान पर विभाग द्वारा की जायेगी।
4. मूल निविदा के पृष्ठ संख्या 17 के बिन्दु संख्या-5 के क्रम में नियमानुसार सफल निविदा-दाता के द्वारा प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय में लैपटॉप सहित दो-दो तकनीकी कार्मिकों की तैनाती के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में भी लैपटॉप सहित दो कर्मिकों की तैनाती की जायेगी। जिला निर्वाचन कार्यालय/मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में इन कार्मिकों को इण्टरनेट की सुविधा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। जिस फर्म को जनपद देहरादून के लिए सफल निविदा-दाता चुना जायेगा उसी फर्म के द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में भी उक्तानुसार लैपटॉप सहित तकनीकी कार्मिकों की तैनाती की जायेगी।

5. मूल निविदा के पृष्ठ संख्या 17 व 23 के क्रमशः बिन्दु संख्या "4" व "u" के क्रम में चिन्हित मतदेय स्थलों पर (Polling Stations) Webcasting कार्य में तकनीकी सहायता के लिए कार्मिक/कार्मिकों की व्यवस्था संबंधित जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चिन्हित ऐसे प्रत्येक कार्मिक को Webcasting कार्य का सम्पूर्ण तकनीकी प्रशिक्षण संबंधित फर्म के द्वारा ही प्रदान किया जायेगा। किसी भी तकनीकी कमी/त्रुटि और असुविधा के लिए संबंधित फर्म उत्तरदायी होगी।
6. उत्तराखण्ड शासन, वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 121 XXVII(7)/21-32/2007टी.सी. दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के अनुपालन में मूल निविदा के पृष्ठ संख्या 30 के बिन्दु संख्या 9 के क्रम में कार्यपूर्ति प्रतिभूति संविदा के मूल्य की (Performance Security) 10% के स्थान पर 03 % (तीन प्रतिशत) होगी।
7. फर्म के द्वारा Webcasting कार्य में तकनीकी सहायता हेतु तैनात किए जाने वाले कार्मिकों (Manpower) के EPF एवं अन्य वैधानिक कटौतियों के साथ श्रम कानून व अन्य सुसंगत कानूनों के पालन का उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा।
8. नियमानुसार सफल निविदा-दाता के द्वारा मतदान दिवस से 02 (P-02) दिन पूर्व Webcasting के लिए चिन्हित मतदेय स्थल पर installation एवं मतदान दिवस से 01 (P-01) दिन पूर्व Trial Run सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। परन्तु यदि ECI द्वारा उक्त के संबंध में कोई नवीनतम दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते हैं तो ऐसे सभी निर्देशों को पालन किया जाना आवश्यक होगा।
9. जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा Webcasting के लिए चिन्हित किए गए मतदेय स्थलों में परिवर्तन (Change) भी हो सकता है, तदनुसार परिवर्तित मतदेय स्थलों पर Webcasting का कार्य करना होगा। विभाग द्वारा यथा सम्भव चिन्हित मतदेय स्थलों में उपलब्ध Network (ISP) के संबंध में अवगत करा दिया जायेगा

अतः इस कार्यालय की उक्त निविदा संख्या-1842 दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा व पढ़ा जाय।


 (एस. ए. मुरुगेशन)
 अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
 उत्तराखण्ड।